

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग


क्रमांक: प.1(1)चिस्वा / ग्रुप-2 / 2020

जयपुर, दिनांक : 31.03.2020

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 24.03.2020 के द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण को Pandemic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले समस्त चिकित्सा संस्थानों एवं जनता क्लीनकों में ओपीडी एक पारी में प्रातः 09.00 बजे से अपरान्ह 03.00 बजे तक आगामी आदेशों तक संचालित किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये थे, की निरन्तरता में दिनांक 01.04.2020 से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले समस्त चिकित्सा संस्थानों एवं जनता क्लीनकों में ओपीडी एक पारी में प्रातः 08.00 बजे से अपरान्ह 02.00 तक अग्रिम आदेशों तक संचालित किये जावें।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, मा. मुख्य संचिव महोदय।
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय /
4. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
5. समस्त संभागीय आयुक्त, राज.
6. समस्त जिला कलक्टर, राज.
7. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग
8. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज.
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राज.
11. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
12. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
13. निजी /रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव